

# लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)

(जिला कलक्टर), बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS.

प्रकरण संख्या : 08 / 2023

GCMS NO. : 2023 / 55

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

अप्रार्थी / रेस्पोंडेंट्स:-

श्री शरद पंड्या, कार्यालय अन्दर की खबर  
समाचार पत्र, घंटाघर के पास, त्रिपोलिया बनाम  
रोड, बांसवाड़ा

अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाड़ा

## निर्णय


अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :- 03-08-2023


प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाड़ा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 05.06.2023 (पोस्टल ऑर्डर नं. 60 एफ 513256) को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाड़ा द्वारा निर्धारित अवधि में भी सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।


अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 20.07.2023 को जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

दिनांक 03.08.2023 को अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। प्रत्यर्थी ने पत्रांक 40(1) आरटीआई / 2023 / 240

दिनांक 28.07.2023 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके संलग्न अपीलार्थी को प्रेषित की गई सूचना  अवगत

करायी कि अपीलार्थी के प्रश्नगत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.06.2023 से वांछित सूचना अपीलार्थी को रजिस्टर्ड




  
जिला कलक्टर  
बांसवाड़ा (राज.)

डाक द्वारा प्रेषित की जा चुकी है जो कि प्रार्थी को दिनांक 11.07.2023 को प्राप्त हुई है। अपील अपीलान्त निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं उसके संलग्न पत्रादि का अवलोकन किया। अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा द्वारा अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया जाना एवं अपीलार्थी द्वारा दिनांक 11.07.2023 को प्राप्त होना जाहिर किया है। किन्तु अपील अनुसार अपीलार्थी को उनके प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, के तहत दिनांक 05.06.2023 पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण यह अपील पेश किया जाना जाहिर किया है। अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना पुनः जरिये डाक तामिल कुनिन्दा के माध्यम से अपीलार्थी को तत्काल प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(प्रकाश चन्द्र शर्मा) IAS.  
लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी,  
बांसवाडा (राज.)  
जिला कलक्टर, बांसवाडा (राज.)